



Research Article

सामान्य एवं मूक-बधिर विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण और व्यक्तित्व विकास का अध्ययन: भारतीय संदर्भ में

श्रीमती पुनिता तिवारी ^{1*}, डॉ. ममता शर्मा ²

¹ पीएच.डी. शोधार्थी, शिक्षा विभाग, आईईसी विश्वविद्यालय, बद्दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश, भारत

² सह प्राध्यापिका, शिक्षा विभाग, आईईसी विश्वविद्यालय, बद्दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश

Corresponding Author: *श्रीमती पुनिता तिवारी

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21024160>

सारांश

वर्तमान शोध-पत्र का उद्देश्य भारतीय संदर्भ में सामान्य एवं मूक-बधिर विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण और व्यक्तित्व विकास के मध्य संबंध का अध्ययन करना है। भारतीय समाज में परिवार बालक के सामाजिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक, नैतिक और शैक्षिक विकास की प्रथम संस्था है। संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ग्रामीण-शहरी परिवेश, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, माता-पिता की शिक्षा, पारिवारिक मूल्य, अनुशासन, धार्मिक-सांस्कृतिक मान्यताएँ और परिवार में संवाद की प्रकृति विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास को गहराई से प्रभावित करते हैं। सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में मूक-बधिर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में परिवार की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि श्रवण-बाधा के कारण उन्हें भाषा, संचार, सामाजिक सहभागिता और आत्म-अभिव्यक्ति से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय संदर्भ में आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समावेशी शिक्षा तथा विशेष शिक्षा सेवाएँ मूक-बधिर विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों, भारतीय शोधों, नीतिगत दस्तावेजों और उपलब्ध साहित्य के आधार पर तैयार किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सकारात्मक, सहयोगी, संवादपरक और स्वीकारात्मक पारिवारिक वातावरण सामान्य और मूक-बधिर दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सहायक है; किंतु मूक-बधिर विद्यार्थियों के लिए परिवार की संचार-सुलभता, भावनात्मक स्वीकृति, शिक्षा में भागीदारी और पुनर्वास सहयोग विशेष रूप से आवश्यक हैं।

Manuscript Information

- ISSN No: 2583-7397
- Received: 10-01-2026
- Accepted: 24-02-2026
- Published: 28-02-2026
- IJCRM:5(1); 2026: 790-795
- ©2026, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

श्रीमती पुनिता तिवारी, डॉ. ममता शर्मा. सामान्य एवं मूक-बधिर विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण और व्यक्तित्व विकास का अध्ययन: भारतीय संदर्भ में. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(1): 790-795.

Access this Article Online



www.multiarticlesjournal.com

मूल शब्द: पारिवारिक वातावरण, व्यक्तित्व विकास, मूक-बधिर विद्यार्थी, भारतीय संदर्भ, समावेशी शिक्षा, सामाजिक समायोजन, अभिभावकीय सहयोग।

1. परिचय

व्यक्तित्व विकास बालक के संपूर्ण जीवन की एक सतत प्रक्रिया है। यह केवल बाहरी व्यवहार या बोलचाल तक सीमित नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, आत्मविश्वास, सामाजिक संबंधों, निर्णय-क्षमता, आत्म-नियंत्रण, नैतिक मूल्यों और जीवन-दृष्टि का समन्वित रूप होता है। भारतीय समाज में परिवार को बालक के विकास की मूल आधारशिला माना जाता है। बालक सबसे पहले परिवार से ही भाषा, व्यवहार, अनुशासन, संस्कार, सहयोग, आदर, आत्म-पहचान और सामाजिक नियम सीखता है।

भारतीय परिवार व्यवस्था विविधतापूर्ण है। यहाँ संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ग्रामीण परिवार, शहरी परिवार, मध्यमवर्गीय परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार और उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर वाले परिवार सभी प्रकार के परिवेश पाए जाते हैं। इन सभी पारिवारिक स्थितियों का प्रभाव विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। जिस परिवार में प्रेम, सहयोग, सुरक्षा, संवाद, अनुशासन और स्वीकृति होती है, वहाँ विद्यार्थी में आत्मविश्वास, सामाजिकता, भावनात्मक स्थिरता और सकारात्मक सोच विकसित होती है। इसके विपरीत उपेक्षा, कठोर अनुशासन, अस्वीकार, संवादहीनता और अत्यधिक नियंत्रण विद्यार्थी में संकोच, भय, हीनता, आक्रामकता और सामाजिक असमायोजन को जन्म दे सकते हैं।

मूक-बधिर विद्यार्थियों के संदर्भ में पारिवारिक वातावरण का महत्त्व और बढ़ जाता है। श्रवण-बाधा के कारण ऐसे विद्यार्थियों को भाषा-विकास, संचार, सामाजिक संपर्क और आत्म-अभिव्यक्ति में कठिनाई हो सकती है। भारतीय समाज में अभी भी दिव्यांगता को लेकर कई स्थानों पर दया, सामाजिक कलंक, अज्ञानता और अत्यधिक संरक्षण जैसी प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। यदि परिवार मूक-बधिर विद्यार्थी को समान अवसर, भावनात्मक स्वीकृति, सांकेतिक भाषा या अन्य संचार माध्यम, शिक्षा में सहयोग और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करता है, तो उसका व्यक्तित्व अधिक संतुलित और आत्मविश्वासी बन सकता है।

भारत में समावेशी शिक्षा की अवधारणा धीरे-धीरे मजबूत हुई है। आर.टी.ई. अधिनियम 2009, आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने दिव्यांग बच्चों के लिए समान शिक्षा, पहुँच, भागीदारी और सम्मानजनक वातावरण पर बल दिया है। इसलिए सामान्य एवं मूक-बधिर विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण और व्यक्तित्व विकास का अध्ययन भारतीय शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक न्याय और समावेशी समाज के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

2. भारतीय साहित्य समीक्षा

2.1 धारित्री एवं विनोदा/मूर्ति (1990)

धारित्री एवं विनोदा/मूर्ति ने श्रवण-बाधित बच्चों की व्यवहारगत समस्याओं और अभिभावकीय दृष्टिकोण का अध्ययन किया। अध्ययन में श्रवण-बाधित बच्चों, सामान्य विद्यालयों में पढ़ने वाले श्रवण-बाधित बच्चों तथा सामान्य बच्चों की तुलना की गई। निष्कर्षों से स्पष्ट हुआ कि श्रवण-बाधित बच्चों में व्यवहारगत समस्याएँ अपेक्षाकृत अधिक देखी गईं। यह अध्ययन बताता है कि परिवार यदि बच्चे की श्रवण-बाधा को संवेदनशीलता से समझे और सहयोगी व्यवहार अपनाए, तो बच्चे के सामाजिक और व्यक्तित्व विकास में सुधार संभव है।

2.2 उमादेवी एवं वेंकटरमैया (1993)

उमादेवी एवं वेंकटरमैया ने मूक-बधिर बच्चों के प्रति माता-पिता की अभिवृत्तियों और आकांक्षाओं का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि जिन परिवारों में पारिवारिक अंतःक्रिया अच्छी थी, वहाँ माता-पिता अपने मूक-बधिर बच्चों को आत्मनिर्भर बनते हुए देखना चाहते थे। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि परिवार की सकारात्मक आकांक्षाएँ और स्वीकृति मूक-बधिर विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास में सहायक होती हैं।

2.3 भाटिया एवं चड्ढा (1993)

भाटिया एवं चड्ढा द्वारा विकसित पारिवारिक वातावरण मापनी भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में परिवार के विभिन्न आयामों को समझने के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसमें पारिवारिक एकता, अभिव्यक्ति, संघर्ष, स्वीकृति, देखभाल, स्वतंत्रता, संगठन और नियंत्रण जैसे आयाम शामिल हैं। सामान्य एवं मूक-बधिर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के अध्ययन में यह मापनी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि परिवार का भावनात्मक और सामाजिक वातावरण बच्चे के समायोजन एवं व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करता है।

2.4 धींगरा, मनहास एवं सेठी (2007)

धींगरा, मनहास एवं सेठी ने जम्मू-कश्मीर में 10 से 17 वर्ष के श्रवण-बाधित बच्चों के पारिवारिक वातावरण और सामाजिक समायोजन का अध्ययन किया। अध्ययन में श्रवण-बाधित बच्चों, उनके माता-पिता, भाई-बहनों और शिक्षकों को शामिल किया गया। निष्कर्षों से पता चला कि अधिकांश माता-पिता बच्चों को सहयोगी वातावरण प्रदान कर रहे थे, किंतु स्वतंत्रता के आयाम में कमी पाई गई। यह अध्ययन बताता है कि भारतीय परिवारों में संरक्षण की भावना अधिक हो सकती है, परंतु मूक-बधिर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता के अवसर भी आवश्यक हैं।

2.5 कुमार एवं राव (2008)

कुमार एवं राव ने मुंबई में 0 से 12 वर्ष आयु वर्ग के श्रवण-बाधित बच्चों के 60 अभिभावकों पर अध्ययन किया। अध्ययन में 30 पिता और 30 माताएँ शामिल थीं। निष्कर्षों से पता चला कि निदान के बाद माता-पिता में घबराहट, अपराध-बोध, चिंता और तनाव उत्पन्न हो सकता है। अध्ययन यह भी बताता है कि अभिभावकीय शिक्षा और जागरूकता बच्चे के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि मूक-बधिर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में अभिभावक-परामर्श और पारिवारिक स्वीकृति अत्यंत आवश्यक हैं।

2.6 कुमार एवं मोहापात्रा (2010)

कुमार एवं मोहापात्रा ने भारत में नवजात श्रवण-जाँच कार्यक्रम की स्थिति पर अध्ययन किया। उनके अनुसार श्रवण-बाधा की प्रारम्भिक पहचान और समय पर हस्तक्षेप बच्चे के भाषा, संचार और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। यदि श्रवण-बाधा की पहचान देर से होती है, तो भाषा-विकास प्रभावित हो सकता है और इसका प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व विकास पर भी पड़ता है। इसलिए भारतीय परिवारों और स्वास्थ्य व्यवस्था में श्रवण-जागरूकता का विकास आवश्यक है।

2.7 राउत एवं खन्ना (2012)

राउत एवं खन्ना ने गंभीर से अत्यधिक श्रवण-बाधित बच्चों की भारतीय माताओं की चिंताओं का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि निदान के समय माताएँ बच्चे के भविष्य, संचार, शिक्षा और सामाजिक स्वीकृति को लेकर चिंतित रहती हैं। उपचार और हस्तक्षेप के बाद भी परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहती है। यह अध्ययन बताता है कि भारतीय परिवारों में माँ बच्चे के पुनर्वास, शिक्षा और भावनात्मक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती है।

2.8 यादव (2015)

यादव ने कोयम्बटूर जिले में श्रवण-बाधित बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों में अभिभावकों की भागीदारी का अध्ययन किया। अध्ययन में प्री-प्राइमरी और प्राइमरी स्तर के बच्चों के अभिभावकों को शामिल किया गया। निष्कर्षों से स्पष्ट हुआ कि माता-पिता की शिक्षा, आय और व्यवसाय का अभिभावकीय सहभागिता पर प्रभाव पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संदर्भ में सामाजिक-आर्थिक स्थिति मूक-बधिर विद्यार्थियों की शिक्षा और व्यक्तित्व विकास को प्रभावित कर सकती है।

2.9 भुवनेश्वरी, मोहनराज एवं इम्मानुअल सेल्वराज (2013)

भुवनेश्वरी, मोहनराज एवं इम्मानुअल सेल्वराज ने श्रवण-बाधित किशोरों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि श्रवण-बाधित किशोरों को आत्म-अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क, भावनात्मक संतुलन और आत्म-छवि से जुड़ी समस्याएँ हो सकती हैं। भारतीय परिवार यदि संवाद, सहयोग और स्वीकृति प्रदान करे, तो इन मनोवैज्ञानिक समस्याओं को कम किया जा सकता है।

2.10 यादव (2022)

यादव ने विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों वाले बच्चों की शैक्षणिक प्रगति पर अभिभावकीय भागीदारी और जागरूकता के प्रभाव का अध्ययन किया। यद्यपि यह अध्ययन सीधे मूक-बधिर विद्यार्थियों पर आधारित नहीं है, फिर भी यह भारतीय विशेष शिक्षा संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि अभिभावकीय जागरूकता और विद्यालय से सहयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

2.11 एन.सी.ई.आर.टी. का समावेशी शिक्षा दृष्टिकोण

एन.सी.ई.आर.टी. ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा शिक्षा से जोड़ने के लिए दृश्य सामग्री, सहायक उपकरण, वैकल्पिक संचार, शिक्षक-संवेदनशीलता और समावेशी कक्षा वातावरण पर बल दिया है। श्रवण-बाधित विद्यार्थियों के लिए चित्र, संकेत, लिखित निर्देश, सांकेतिक भाषा और सहपाठी सहयोग उपयोगी हो सकते हैं। भारतीय विद्यालयों में यदि परिवार और शिक्षक मिलकर कार्य करें, तो मूक-बधिर विद्यार्थियों का आत्मविश्वास और सामाजिक समायोजन बढ़ सकता है।

2.12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी और समान शिक्षा पर बल दिया है। आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, सम्मान, समान अवसर, गैर-भेदभाव और शिक्षा में पहुँच को सुनिश्चित करता है। इन नीतिगत प्रावधानों के आधार पर भारत में मूक-बधिर विद्यार्थियों को शिक्षा, संचार-सहायता, सहायक उपकरण, विशेष शिक्षकों और समावेशी वातावरण का अधिकार प्राप्त है। यह नीतिगत संदर्भ पारिवारिक वातावरण और व्यक्तित्व विकास के अध्ययन को भारतीय सामाजिक-शैक्षिक आधार प्रदान करता है।

3. शोध-अंतराल

भारतीय संदर्भ में श्रवण-बाधित बच्चों पर कुछ अध्ययन पारिवारिक वातावरण, अभिभावकीय दृष्टिकोण, सामाजिक समायोजन, शिक्षा और पुनर्वास से संबंधित हैं। फिर भी सामान्य एवं मूक-बधिर विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण और व्यक्तित्व विकास का तुलनात्मक अध्ययन सीमित दिखाई देता है। अधिकांश भारतीय अध्ययन छोटे नमूनों, विशेष विद्यालयों या अभिभावकीय दृष्टिकोण तक सीमित हैं। परिवार की संरचना, ग्रामीण-शहरी अंतर, माता-पिता की शिक्षा, आर्थिक स्थिति, सांकेतिक भाषा की उपलब्धता, भारतीय सामाजिक दृष्टिकोण और समावेशी विद्यालयी अनुभवों को एक साथ जोड़कर कम अध्ययन किए गए हैं। इसलिए भारतीय संदर्भ में इस विषय पर अधिक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता है।

4. शोध उद्देश्य

1. भारतीय संदर्भ में सामान्य एवं मूक-बधिर विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन करना।
2. सामान्य एवं मूक-बधिर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के प्रमुख आयामों का विश्लेषण करना।
3. पारिवारिक वातावरण और व्यक्तित्व विकास के मध्य संबंध को समझना।
4. मूक-बधिर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में अभिभावकीय स्वीकृति, संचार-सहयोग और भावनात्मक सुरक्षा की भूमिका का अध्ययन करना।
5. भारतीय परिवार व्यवस्था में संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ग्रामीण-शहरी परिवेश और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के प्रभाव को समझना।
6. समावेशी शिक्षा के भारतीय नीतिगत संदर्भ में मूक-बधिर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की संभावनाओं का विश्लेषण करना।

5. शोध प्रश्न

1. भारतीय संदर्भ में सामान्य एवं मूक-बधिर विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण में क्या अंतर पाया जाता है?
2. क्या पारिवारिक वातावरण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है?
3. मूक-बधिर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में अभिभावकीय स्वीकृति और संचार-सहयोग की क्या भूमिका है?
4. क्या ग्रामीण और शहरी परिवारों में मूक-बधिर विद्यार्थियों को मिलने वाले सहयोग में अंतर पाया जा सकता है?

5. क्या माता-पिता की शिक्षा और आर्थिक स्थिति मूक-बधिर विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और सामाजिक समायोजन को प्रभावित करती है?
6. भारत में समावेशी शिक्षा नीतियाँ मूक-बधिर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं?

6. शोध पद्धति

6.1 शोध का प्रकार

यह अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इसमें भारतीय शोध-पत्रों, पुस्तकों, नीतिगत दस्तावेजों, सरकारी अधिनियमों और समावेशी शिक्षा संबंधी सामग्री का विश्लेषण किया गया है।

6.2 अध्ययन का क्षेत्र

यह अध्ययन भारतीय सामाजिक और शैक्षिक संदर्भ को केंद्र में रखता है। इसमें सामान्य विद्यालयों, विशेष विद्यालयों और समावेशी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की स्थितियों को ध्यान में रखा गया है।

6.3 अध्ययन की जनसंख्या

अध्ययन की संभावित जनसंख्या में भारत के सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य विद्यार्थी तथा विशेष या समावेशी विद्यालयों में अध्ययनरत मूक-बधिर विद्यार्थी शामिल किए जा सकते हैं।

6.4 संभावित नमूना

प्राथमिक अध्ययन की स्थिति में कक्षा 6 से 12 तक के 100 से 200 विद्यार्थियों का नमूना लिया जा सकता है। इसमें 50 प्रतिशत सामान्य विद्यार्थी और 50 प्रतिशत मूक-बधिर विद्यार्थी शामिल किए जा सकते हैं। नमूना चयन के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना विधि उपयुक्त रहेगी, ताकि लिंग, कक्षा, विद्यालय प्रकार और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का संतुलित प्रतिनिधित्व हो सके।

6.5 प्रमुख चर

स्वतंत्र चर: पारिवारिक वातावरण

निर्भर चर: व्यक्तित्व विकास

नियंत्रित चर: आयु, लिंग, कक्षा, विद्यालय का प्रकार, ग्रामीण-शहरी क्षेत्र, परिवार का प्रकार, माता-पिता की शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति।

6.6 उपकरण

1. भारतीय संदर्भ में पारिवारिक वातावरण मापन हेतु पारिवारिक वातावरण मापनी।
2. व्यक्तित्व विकास या सामाजिक-भावनात्मक समायोजन मापन हेतु उपयुक्त व्यक्तित्व सूची।
3. मूक-बधिर विद्यार्थियों के लिए सांकेतिक भाषा, दृश्य सामग्री, लिखित प्रश्न और प्रशिक्षित दुभाषिए की सहायता।
4. अभिभावकों और शिक्षकों के लिए साक्षात्कार अनुसूची।

5. विद्यालयी अभिलेखों और परामर्श रिपोर्टों का अध्ययन।

6.7 डाटा विश्लेषण

प्राथमिक अध्ययन की स्थिति में माध्य, मानक विचलन, टी-परीक्षण, सहसंबंध और गुणात्मक विश्लेषण का प्रयोग किया जा सकता है। द्वितीयक अध्ययन में विषयगत विश्लेषण पद्धति अपनाई जा सकती है।

6.8 नैतिक पक्ष

मूक-बधिर विद्यार्थियों के साथ अध्ययन करते समय गोपनीयता, सूचित सहमति, सम्मानजनक भाषा और संवेदनशील व्यवहार आवश्यक है। विद्यार्थियों को किसी भी रूप में हीन, अलग या दया का पात्र नहीं दिखाया जाना चाहिए। भारतीय संदर्भ में अभिभावकों, विद्यालय प्रशासन और विशेष शिक्षकों की अनुमति भी आवश्यक होगी।

7. विश्लेषण एवं चर्चा

भारतीय संदर्भ में परिवार विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास का केंद्रीय आधार है। सामान्य विद्यार्थियों में परिवार का प्रेम, सहयोग, अनुशासन और संवाद आत्मविश्वास, सामाजिकता, भावनात्मक संतुलन और उपलब्धि-प्रेरणा को विकसित करता है। जिन परिवारों में बच्चों को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है, वहाँ बच्चे अधिक आत्मविश्वासी और सामाजिक रूप से सक्रिय दिखाई देते हैं।

मूक-बधिर विद्यार्थियों के संदर्भ में परिवार की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय समाज में कई परिवार श्रवण-बाधा को प्रारम्भ में स्वीकार नहीं कर पाते। निदान के बाद माता-पिता में चिंता, अपराध-बोध, भय और भविष्य को लेकर असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है। यदि समय पर परामर्श, पुनर्वास और शिक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध हो, तो परिवार बच्चे को बेहतर सहयोग प्रदान कर सकता है। भारतीय परिवारों में संरक्षण की भावना मजबूत होती है। यह भावना बच्चे को सुरक्षा देती है, परंतु अत्यधिक संरक्षण मूक-बधिर विद्यार्थी की आत्मनिर्भरता को सीमित कर सकता है। इसलिए परिवार को संरक्षण और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। बच्चे को दैनिक कार्यों, निर्णय लेने, सामाजिक सहभागिता और विद्यालयी गतिविधियों में भाग लेने के अवसर मिलने चाहिए।

ग्रामीण और शहरी संदर्भ में भी अंतर देखा जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में विशेष विद्यालय, श्रवण-जाँच, कॉन्सिलियर इम्प्लॉन्ट, भाषण-चिकित्सा, सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण और समावेशी विद्यालयों की उपलब्धता अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता, संसाधन और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की कमी मूक-बधिर विद्यार्थियों के विकास को प्रभावित कर सकती है। इसलिए भारतीय नीति-व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

माता-पिता की शिक्षा और आर्थिक स्थिति भी महत्वपूर्ण कारक हैं। शिक्षित अभिभावक बच्चे की श्रवण-बाधा, शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं। आर्थिक रूप से सक्षम परिवार सहायक उपकरण, उपचार और विशेष शिक्षण सेवाओं तक अधिक पहुँच बना सकते हैं। इसके विपरीत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में संसाधनों की कमी बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकती है। समावेशी शिक्षा भारतीय संदर्भ में मूक-बधिर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यदि विद्यालय में शिक्षक संवेदनशील

हों, सहपाठी सहयोगी हों, दृश्य सामग्री और वैकल्पिक संचार उपलब्ध हो, तो मूक-बधिर विद्यार्थियों स्वयं को समाज का सक्रिय हिस्सा अनुभव करता है। इससे आत्म-सम्मान, सामाजिक सहभागिता और सकारात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है।

8. परिणाम

1. भारतीय संदर्भ में पारिवारिक वातावरण सामान्य और मूक-बधिर दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है।
2. मूक-बधिर विद्यार्थियों के लिए परिवार की स्वीकृति, संवेदनशीलता और संचार-सहयोग अत्यंत आवश्यक है।
3. संयुक्त परिवारयोग अत्यंत आवश्यक भावनात्मक सहयोग दे सकता है, परंतु कभी-कभी अत्यधिक संरक्षण आत्मनिर्भरता को सीमित कर सकता है।
4. एकल परिवार में माता-पिता की सीधी सहभागिता अधिक हो सकती है, परंतु सामाजिक समर्थन सीमित हो सकता है।
5. माता-पिता की शिक्षा, आय और जागरूकता मूक-बधिर विद्यार्थियों की शिक्षा और व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों और विशेषज्ञ सेवाओं की कमी मूक-बधिर विद्यार्थियों के विकास में बाधा बन सकती है।
7. शहरी क्षेत्रों में पुनर्वास और समावेशी शिक्षा की सुविधाएँ अपेक्षाकृत अधिक उपलब्ध हो सकती हैं, परंतु सामाजिक स्वीकृति फिर भी आवश्यक है।
8. भारतीय नीतियाँ मूक-बधिर विद्यार्थियों के अधिकारों को मजबूत करती हैं, परंतु उनका प्रभाव परिवार और विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन पर निर्भर करता है।
9. सकारात्मक पारिवारिक वातावरण से आत्मविश्वास, आत्म-सम्मान, सामाजिक समायोजन और आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है।
10. परिवार, विद्यालय, विशेष शिक्षक और समुदाय के संयुक्त प्रयासों से मूक-बधिर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास को बेहतर बनाया जा सकता है।

9. निष्कर्ष

वर्तमान अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारतीय संदर्भ में पारिवारिक वातावरण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। सामान्य विद्यार्थियों में परिवार आत्मविश्वास, सामाजिकता, अनुशासन और भावनात्मक स्थिरता को विकसित करता है। मूक-बधिर विद्यार्थियों में परिवार की भूमिका और गहरी हो जाती है क्योंकि उनके लिए परिवार संचार, भाषा, आत्म-अभिव्यक्ति, सामाजिक स्वीकृति और आत्मनिर्भरता का प्रमुख माध्यम होता है।

भारत में मूक-बधिर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए परिवार को संवेदनशील, सहयोगी और संचार-सुलभ बनाना आवश्यक है। माता-पिता को सांकेतिक भाषा, वैकल्पिक संचार, श्रवण-सहायक उपकरणों, पुनर्वास सेवाओं और समावेशी शिक्षा के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। विद्यालयों को भी परिवारों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन से मूक-बधिर विद्यार्थियों को समान

अवसर, सम्मान और समावेशी वातावरण मिल सकता है। इस प्रकार भारतीय परिवार, विद्यालय और समाज के संयुक्त प्रयासों से सामान्य एवं मूक-बधिर दोनों प्रकार के विद्यार्थियों का संतुलित व्यक्तित्व विकास संभव है।

संदर्भ सूची

1. भाटिया एच, चड्ढा एनके. पारिवारिक वातावरण मापनी. राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक निगम, आगरा; 1993.
2. भुवनेश्वरी के, मोहनराज आर, इम्मानुअल सेल्वराज सी. श्रवण-बाधित किशोरों में मनोवैज्ञानिक समस्याएँ. GESJ: Education Science and Psychology. 2013;24(2):16-27.
3. धारित्री आर, विनोदा मूर्ति. श्रवण-बाधित बच्चों की व्यवहारगत समस्याएँ और अभिभावकीय दृष्टिकोण. भारतीय मनोवैज्ञानिक अध्ययन. 1990.
4. धींगरा आर, मनहास एस, सेठी एन. श्रवण-बाधित बच्चों से संबंधित चयनित चर: पारिवारिक वातावरण और सामाजिक समायोजन का अध्ययन. Journal of Human Ecology. 2007;22(1):83-87.
5. कुमार एस, राव जी. श्रवण-बाधित बच्चों के प्रति अभिभावकीय अभिवृत्तियाँ. Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal. 2008;19(2):111-117.
6. कुमार एस, मोहापात्रा बी. भारत में नवजात श्रवण-जाँच कार्यक्रम की स्थिति. भारतीय श्रवण एवं पुनर्वास अध्ययन. 2010.
7. राउत एन, खन्ना एम. गंभीर श्रवण-बाधित बच्चों की भारतीय माताओं की चिंताएँ. भारतीय पुनर्वास अध्ययन. 2012.
8. यादव एसके. श्रवण-बाधित बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों में अभिभावकीय भागीदारी. International Journal of Indian Psychology. 2015.
9. यादव एम. विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों वाले बच्चों की शैक्षणिक प्रगति पर अभिभावकीय भागीदारी और जागरूकता का प्रभाव. भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका. 2022.
10. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT). विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन: प्राथमिक स्तर. नई दिल्ली; 2014.
11. भारत सरकार. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम. नई दिल्ली; 2009.
12. भारत सरकार. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली; 2016.
13. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. नई दिल्ली; 2020.
14. भारतीय पुनर्वास परिषद. विशेष शिक्षा एवं पुनर्वास सेवाओं से संबंधित दिशा-निर्देश. नई दिल्ली. वर्ष निर्दिष्ट नहीं.

15. NCERT. समावेशी एवं सुलभ शिक्षा संबंधी पहल. नई दिल्ली. वर्ष निर्दिष्ट नहीं.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.